कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

क्रमांक 403/दो–11–07/2017 रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/03/2017 की शाम 05.30 बजे तक।

न्यायिक जिला रायपुर में स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जानी है। अतः अर्हता प्राप्त इच्छुक उम्मीदवारों से जो भारत का नागरिक हो से पंजीबद्ध डाक/स्पीड पोस्ट या स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र आंमत्रित किए जाते है, जो इस कार्यालय को दिनांक **31/03/2017** की शाम 05.30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के पूर्व के तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

–: पदों का विवरण :–

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
			मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक
	रिक्त पदों में से 02 पद अग्रेंजी स्टेनोग्राफर के लिये है																	
01	स्टेनोग्राफर	5+16B=21	02	01	00	01 B	01	00	00	00	01+03B	01 B	01 B	00	07B	03B	00	00

Note : B = Backlog

–: भर्ती की पात्रता एवं शर्ते :–

1. स्टेनोग्राफर (वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड पे रूपये 2800/–) पद हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको एवं आरक्षित वर्गो (अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व.) के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(ख) हिन्दी स्टेनोग्राफर हेतु छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(ग) अग्रेंजी स्टेनोग्राफर हेतु छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(घ) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य शासन या केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर में डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक है।

–: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :–

2. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन प्रस्तुत करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर, उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जायेंगें, आरिक्षत पद के विरूद्ध नही।

4. किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।

5. रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)

6. पदों की संख्या परिवर्तनीय है, विभाग प्रमुख को यह अधिकार होगा कि पद रिक्तता की स्थिति में पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।

7. उम्मीदवार दिनांक 01/01/2017 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर, दिनांक 23/01/2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में एक बार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट कलेण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक प्रदान की गई है।

8. उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है)

(ii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25/93/1 आ.प्र., दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत उम्मीदवार की आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है)

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटिजेंसी या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी। (सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

(iv) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, **परंतु इसके परिणाम–स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।** (सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

(v) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षाकर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिये उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 06 माह से अधिक सेवा को 01 वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी। (सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

(vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं नगर सेना नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुये दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। (सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

(viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी। (आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

(ix) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी। (आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

(x) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदाय की जावेगी। (आयु सीमा में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। (आयु सीमा में छूट हेतु सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

(xii) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु उसके परिणाम–स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। **स्पष्टीकरण–''छंटनी किये गये सरकारी सेवक''** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। (सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

<u>विशेष टीप</u> :– छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर, दिनांक 15/06/2010 में दिए गये निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर, दिनांक 23/01/2017 में दिये गये निर्देश के अनुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु एक बार के लिये 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी,** परंतु अन्य विशेष वर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

9. अनर्हता :–

(i) कोई भी पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा/होगी। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा। परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नही होगा।

10. <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

(i) आवेदन पत्र विज्ञापन में प्रकाशित प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **31/03/2017** की संध्या 5.30 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से **<u>''आवेदित पद स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र''</u>** लिखा हो, **जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)** के कार्यालय में **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** द्वारा अथवा **<u>स्वयं उपस्थित होकर</u>** प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक **31/03/2017** की संध्या 5.30 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

(ii) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, निवास, रोजगार कार्यालय का पंजीयन आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पांच–पांच रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना होगा।

(iii) जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु नियोक्ता के माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करे अथवा नियोक्ता की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न कर अपना आवेदन प्रेषित करें।

(v) आवेदन पत्र के साथ अलग से दो बिना प्रमाणित स्वयं का पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

(vi) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

11. चयन प्रक्रिया

(i) उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उपरोक्त रिक्त पद पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पद के विरूद्ध तीन गुना तक उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगें, लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक उम्मीद्वार होने की स्थिति मे यह संख्या तीन गुना से अधिक भी हो सकती है। लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, लिखित परीक्षा न लेने पर सिर्फ कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी। उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(ii) उम्मीदवारों की संख्या सीमित होने की स्थिति में यह निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश को होगा कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर लिखित परीक्षा आयोजित न कर, पात्र आवेदकों का केवल कौशल परीक्षा आयोजित करे तथा कौशल परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

(iii) उपर्युक्त पद पर आयोजित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान करते हुये चयनित किया जावेगा।यदि आयु भी समान होगी तो (यदि उक्त पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है तो) कौशल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को वरिष्ठता दी जावेगी।

(iv) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को होगा।

(v) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हे नियुक्ति प्रदान नही की जावेगी।

(vi) चयनित उम्मीद्वार को पुलिस सत्यापन तथा जिला चिकित्सालय से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(vii) चयनित उम्मीदवार अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अध्यधीन होंगे तथा नियोक्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगें।

(viii) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय, सेवा समाप्ति की जा सकती है।

(ix) चयनित कर्मचारी की सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्त अधिकारी को या नियुक्त अधिकारी द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

(x) चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति 02 की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(xi) चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

12. नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

प्रथम भाग–लिखित कौशल परीक्षा

(i) स्टेनोग्राफर हेतु प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या अधिक होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा एक लिखित स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा। यह प्रश्न पत्र **30 मिनट** को होगा, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 02 अंको का होगा।

(ii) उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि कुल दो घण्टे की होगी।

द्वितीय भाग–कौशल परीक्षा

(i) लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के तीन गुना उम्मीद्वारों को हिन्दी स्टेनोग्राफर के संबंध हिन्दी शीघ्रलेखन तथा अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के संबंध अंग्रेजी शीघ्रलेखन कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। स्टेनोग्राफर की कौशल परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जावेगा, जिसका अनुवाद कर समय–सीमा में शुद्धता से टाईप करना होगा। यह प्रश्नपत्र 100 अंक को होगा।

(ii) लिखित परीक्षा एवं कौशल में उम्मीदवार के प्राप्तांक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा अथवा कौशल में से किसी एक में भी अनुपस्थित रहने पर आवेदक को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।

अन्य आवश्यक सूचनाएं

(ii) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(ii) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाएंगें तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीद्वारों की पृथक–पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा वेबसाइट **www.ecourt.gov.in /raipur** पर प्रकाशित की जायेगी।

(iii) योग्य पाये गये उम्मीदवारों को उनका प्रवेश पत्र डाक द्वारा उनके पते पर भेजा जावेगा, किन्तु समय पर उन्हें प्राप्त न होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

–सही–
(आर0के0 राठी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

आवेदन का प्रारूप

पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा कर स्वयं द्वारा सत्यापित करावें

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम :– ....
(हिन्दी में)
(अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. माता का नाम :– ....
5. लिंग (महिला/पुरूष) :– ....
6. जन्म तिथि (अंको में) :– ....
(शब्दों में) :– ....
7. (दिनांक 01.01.2017 को आयु) :– ....
8. श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./ :– ....
अ.पि.व./अना./अन्य)
(आरक्षित वर्ग सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता :– ....
:– ....
:– ....
(पिन कोड व मो. नंबर सहित) :– ....
10. स्थायी पता :– ....
(पिन कोड सहित :– ....
दूरभाष/मोबाईल नं.) :– ....
:– ....
11. रोजगार कार्यालय में जीवित :– ....
पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक तथा :– ....
रोजगार कार्यालय का नाम :– ....
12. क्या आप विवाहित है? हां/नहीं :– ....
13. क्या दो से अधिक जीवित संतान :– ....
है? हां/नहीं :– ....
(यदि हां तो तीसरी संतान की जन्मतिथि)
14. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं :– ....
हां/नहीं
(यदि हां तो विकलांग संबंधी मेडिकल बोर्ड सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

15. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता

क्र.	उत्तीर्ण परिक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	संस्था / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

16. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, हां या नहीं ....

(सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

संलग्न :– सहपत्रों का विवरण

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण और सत्य है। त्रुटिपूर्ण या छिपाकर तथा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी। गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा तथा चयन / नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त / समाप्त की जावेगी।

स्थान :– ....
दिनांक :– ....

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0)

//प्रवेश – पत्र//

क्रमांक /दो–11–07/2017 रायपुर दिनांक / /2017

स्टेनोग्राफर (....................) के पद हेतु .... परीक्षा

<u>वर्ष 2017</u>

पास्पोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा कर स्वयं द्वारा सत्यापित करावें

अभ्यर्थी का नाम – ....

पिता/पति का नाम – ....

<u>केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु</u>

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक – ....

परीक्षा का दिनांक – ....

परीक्षा का स्थान – ....

परीक्षा का समय – ....

सचिव
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ0ग0

<u>परीक्षार्थियों के लिये अनुदेश</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, नकल सामग्री, पुस्तक, नोट्स, केलकुलेटर, मोबाईल फोन, लॉग टेबल आदि रखना वर्जित है, अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।